9

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

R 320- II -17

(म0प्र0)

1— अखिलेश सिंह तनय राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम करौंदिया दक्षिण टोला, तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0

2— सावित्री सिंह पत्नी ध्रुवनारायण सिंह निवासी ग्राम करौंदिया दक्षिण टोला, तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0

---------पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम्

श्री राकेश तिवारी (अभिभाषक) द्वारा आज दि. 24/1/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मध्यप्रदेश शासन जरिए तहसीलदार महोदय तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0

---------गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील गोपद बनास, जिला सीधी म0प्र0 के राजस्व प्र0 क0 450/अ–74/13–14 आदेश दिनांक 04/08/2014

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

राकेश तिवारी
24/01/17

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत हैं :–

1— यह कि पुनरीक्षणकर्तागण की तरफ से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0 के न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि पूर्व में आपके न्यायालय तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0 के राजस्व प्र0 क0

अखिलेश सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 320–दो/2017 जिला–सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–8–17	आवेदकगण के अभिभाषक श्री राकेश तिवारी उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से पैनल अभिभाषक उपस्थित । 2/ उभयपक्ष अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 450/अ–74/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रश्नाधीन आदेश दिनांक की छायाप्रति एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 08/अ–271/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2006 जिसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा किया गया, में मृतक शिवराज सिंह का नाम अंकित हो जाने से उसके स्थान पर उनके वारिसों का नाम अभिलेख पर लाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसलदार ने अपने आदेश दिनांक 04.08.2014 से इस आधार पर निरस्त किया है कि पूर्व बटवारा प्रकरण प्रचलित रहते मृतक शिवराज सिंह के स्थान पर उसके वारिसों को रिकॉर्ड पर लेने हेतु आपत्ति करना चाहिये थी। इसी आधार पर तहसीलदार ने आवेदन पत्र कार्यवाही योग्य न होने से	

खारिज कर दिया है । आवेदकगण यदि बटवारा आदेश में हितबद्ध थे तो उनको बटवारा आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील का प्रावधान है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य